for grant of Letters of Intent/Licences for setting up of new sugar factories in the country are pending with the Union Government, (as on 23.3.90) of which 29 pertain to Maharashtra State-all in Co-operative Sector. The decision on these applications is likely to be taken shortly.

Covering of Nullah in Laxmibai Nagar

2215. SHRI PRITHIBI MAJHI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increase in flies and mosquitoes and incidence of malaria caused by the big open Nullah passing through Laxmibai Nagar, a Government colony in New Delhi; and

(b) if so, what preventive steps have been taken in this regard by Government and to speed up the construction work to cover big open nullah in order to control the above menace?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The NDMC has reported that the increase in mosquitoes and flies is seasonal. To combat this menace anti larval work and pre-monsoon deweeding are regularly done. Plans for covering the nullah in a phased manner over the next two years have already been finalised.

हरियाणा में दलितों पर किये गये अत्याचारों के प्रति विरोध

2216. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जनवरी, 1990 को, दि टाइम्स आफ इंडिया, में "प्रोटेस्ट अगेंस्ट एट्रासिटीज आन हरियाणा दलित" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हरियाणा में दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दलितों और पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

अन्न और कल्याण मंत्री (श्री भार शिवाजी पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हरियाणा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 11 जनवरी, 1990 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित घटना हरियाणा राज्य की स्थानीय पुलिस के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) पीड़ितों जिनमें काफी संख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, पर अत्याचारों के निवारण, अत्याचार करने वाले अपराधियों को दण्ड देने तथा उन्हें राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए एहतियाती, दण्डात्मक तथा पुनर्वासात्मक स्वरूप के उपायों के रूप में व्यापक दिशानिर्देश हैं जिनका राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को पालन करना होता है।

भारत सरकार ने हाल ही में एक नया विधान "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989" बनाया है और यह 30-1-1990 को लागू हो गया है। अधिनियम में विशेष न्यायालयों तथा विशेष लोक अभियोजकों जैसा कारगर तंत्र प्रदान किया गया है और अपराधों में शीघ्र मुकदमा चलाने और अत्याचार करने वाले व्यक्तियों तथा सरकारी कर्मचारियों, जो अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं, को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों को जहां कहीं, दिन-प्रतिदिन के मुकदमों के लिए आवश्यक हो, विशिष्ट न्यायालय प्रदान